मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014-कार्तिक 9, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT INDORE

(Original Company Jurisdiction)

Company Petition No.29/2014 Connected with

Company Application No. 25/2014 and Company Application No. 26/2014

In the matter of the Companies Act, 1956

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of M/s. Neptune Advisors Pvt. Ltd., with M/s. Kamal Kishore Flour Mills Private Limited., under Section 391-394 of the Companies Act, 1956

AND

In the matter of

M/s. NEPTUNE ADVISORS PRIVATE LIMITED,

A Company incorporated under the Companies Act, 1956

and having registered office at 280 Indrapuri Colony,

Indore. .....Petitioner No.1/Transferor Company

M/s. KAMAL KISHORE FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED,

A Company incorporated under the Companies Act, 1956

and having registered office at 103, Shailam Apartment, Sajan Nagar,

Indore. .....Petitioner No.2/Transferee Company

NOTICE OF PETITION

A petition under section 391-394 of the Companies Act, 1956 for obtaining sanction of the Hon'ble

High Court to the scheme of Amalgamation of M/s. Neptune Advisors Pvt. Ltd., (Transferor Company) with M/s. Kamal Kishore Flour Mills Private Limited., (Transferee Company) was presented by the petitioners above named on 24th day of September, 2014 and the said petition is fixed for hearing before the Company Judge on 10th November, 2014.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's Advocate, notice of his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later then 2 days before the date fixed for the hearing of the petition. Where, he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition shall be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Indore
Dated :

Sd/- **DHEERAJ SINGH PANWAR,**
Advocate for Petitioners,
56/2, Nanda Nagar, Indore-452 011(M. P.).

(394-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम अशोक कुमार रात्रे पुत्र रामप्रसाद रात्रे था, जिसे बदलकर अशोक रात्रे हो गया है. अतः अब मुझे अशोक रात्रे के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(अशोक कुमार रात्रे)

नया नाम :
(अशोक रात्रे)
E-80, D, मिनाल रेसीडेन्सी,
फेस-2, भोपाल (मध्यप्रदेश).

(395-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Mr. Surendra Kumar Rajak have changed my name from Surendra Kumar Rajak to Surendra Chouhan by affidavit Sworn before the notary public Bhopal on 25-08-2014 henceforth I shall be known as Surendra Chouhan for all purposes. Such as Govt., Sami govt. and Private Sectors.

Old Name :
(SURENDRA KUMAR RAJAK)

New Name :
(SURENDRA CHOUHAN)
Residence-EWS-983, Kotra
Sulatanabad, Bhopal.

(396-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पारूल खण्डेलवाल ने अपना नाम परिवर्तन कर "मंजु खण्डेलवाल" कर लिया है तथा मेरे सभी दस्तावेज मंजु खण्डेलवाल के नाम पर ही है. भविष्य में मुझे इसी नाम से पढ़ा जावे एवं जाना जावे.

पुराना नाम :
(पारूल खण्डेलवाल)

नया नाम :
(मंजु खण्डेलवाल)
पता-114, गोयल नगर,
इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(393-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम गणेश गोयल एवं दिनेशकुमार अग्रवाल (गोयल) भी है. मैं उक्त दोनों नामों से जाना जाता हूँ. शिक्षा एवं सम्पत्ति तथा व्यापारिक दस्तावेजों में मेरा नाम दिनेशकुमार अग्रवाल (गोयल) है तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गणेश गोयल है. उक्त दोनों नाम मेरे होकर एक ही व्यक्ति है.

गणेश गोयल,
46-47/5, परदेशीपुरा, इन्दौर.

(397-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स दुर्गा माता मार्बल्स की पार्टनरशिप डीड, दिनांक 06 नवम्बर, 2012 के अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह वल्द श्री मोहन सिंह, निवासी 3/2, एसएफएस अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर, जिला जयपुर (राज.) एवं केदार शर्मा वल्द श्री गोविन्द नारायण शर्मा, निवासी 38, चंद्रकला कॉलोनी टोंक रोड जयपुर, जिला जयपुर (राज.) श्री नटवर लाल गोयल वल्द श्री नंदलाल मोर एवं श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल वल्द श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पार्टनर हैं. तत्पश्चात् दिनांक 30 नवम्बर, 2012 की पार्टनरशिप कम रिटायरमेंट डीड में वर्णित पार्टनर श्री राजेन्द्र सिंह वल्द श्री मोहन सिंह, निवासी 3/2, एसएफएस अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर, जिला जयपुर (राज.) द्वारा स्वेच्छा से फर्म मेसर्स दुर्गा माता मार्बल्स जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/15/03/00102/05 वर्ष 2005-2006 है दिनांक 17 अक्टूबर, 2005 जो कि दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 एवं दिनांक 17 नवम्बर, 2006 एवं दिनांक 06 नवम्बर, 2012 है से रिटायरमेंट लेते हुये अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दिया गया है अब उक्त फर्म में श्री राजेन्द्र सिंह का उक्त फर्म में कोई लेना देना नहीं है ना ही कोई अधिकार है तथा अब उक्त फर्म में केदार शर्मा वल्द श्री गोविन्द नारायण शर्मा तथा श्री नटवरलाल गोयल वल्द श्री नंदलाल मोर एवं श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल वल्द श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल नये पार्टनर हो गये हैं. यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो 3 दिन के भीतर मेरे कार्यालय में सूचित करें. समय व्यतीत होने के पश्चात् किसी आपत्ति का निराकरण नहीं किया जाएगा.

राकेश रावत,
(अधिवक्ता)
रावत ब्रदर्स प्रेम कमल विला,
जालपा प्रेस के पास जालपा,
कटनी (म. प्र.).

(398-बी.)

आम सूचना

मेसर्स ध्यानसिंह लद्धाराम (कॉन्ट्रेक्टर) फर्म, निवासी 1282, मदन महल गुप्तेश्वर जबलपुर (मध्यप्रदेश) भागीदारी फर्म में पूर्व में निम्नानुसार भागीदार थे. 1. श्री ध्यानसिंह छावड़ा वल्द श्री स्व. लद्धाराम छावड़ा, 2. श्री अमरजीतसिंह छाबड़ा वल्द श्री ध्यानसिंह छाबड़ा, 3. श्री बलवीर सिंह छाबड़ा वल्द श्री ध्यानसिंह छाबड़ा, 4. श्री लखवीर सिंह छाबड़ा वल्द श्री ध्यानसिंह छाबड़ा, दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 को श्री ध्यानसिंह छावड़ा जी का निधन हो जाने के उपरांत शेष तीन भागीदारों के मध्य दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 को संशोधन पश्चात् नई भागीदारी डीड जारी की गई है. अतः इसे आम सूचना हेतु प्रकाशित किया जा रहा है.

For : M/s Dhyan Singh Ladharam,
अमरजीत सिंह छाबड़ा
(PARTNER).

(399-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, देपालपुर, जिला इन्दौर

देपालपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2014

प्ररूप क्रमांक 4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./री-1/देपा./2014/1065.—सुर्यवंशी कुमरावत (तम्बोली) पंचायत बेटमा ट्रस्ट, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश तर्फे श्री देवीलाल

पिता जाधवलाल कुमरावत, निवासी गोरधनधाम कॉलोनी, सागोर रोड, बायपास चौराहा बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र के प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता. : सुर्यवंशी कुमरावत (तम्बोली) पंचायत बेटमा ट्रस्ट, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश.

सम्पत्ति का विवरण : चल सम्पत्ति :- राशि रुपये 11,000/- रुपये.
अचल सम्पत्ति :- निरंक.

आज दिनांक 26 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(832)

देपालपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2014

प्ररूप क्रमांक 4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./री-1/देपा./2014/1041.—श्री क्षत्रिय कलोता समाज धर्मशाला ट्रस्ट रंगवासा, निवासी रंगवासा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदकगण तखतसिंह पिता घीसाजी चौहान व अन्य 20, निवासी रंगवासा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र के प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता. : श्री क्षत्रिय कलोता समाज धर्मशाला ट्रस्ट रंगवासा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर

2. सम्पत्ति का विवरण : चल सम्पत्ति :- नर्मदा मालवा क्षेत्रिय बैंक में जमा राशि रुपये 23,190/- रुपये.
अचल सम्पत्ति :- कोई अचल सम्पत्ति नहीं.

आज दिनांक 26 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

श्यामेन्द्र जायसवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(832-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री सहदेव पडागे, अध्यक्ष

शिवाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता-E-2/277, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

शिवाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक-डी. आर. बी./346, दिनांक 06 जनवरी, 1984 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक-976, दिनांक 13 अगस्त, 2014 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकार्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के सम्बन्ध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा, कि आपको प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(833)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

कु. मनीषा चौरे, C.I.
अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

रानी पदमावती, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

रानी पदमावती, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक-डी. आर. बी./116, दिनांक 07 मई, 1959 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक-976, दिनांक 13 अगस्त, 2014 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकार्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के सम्बन्ध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा, कि आपको प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(833-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री गिरीष शर्मा, C.I.
प्रभारी अधिकारी,

विश्व विद्यालय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

विश्व विद्यालय शिक्षक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक-डी. आर. बी./213, दिनांक 01 मई, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक-976, दिनांक 13 अगस्त, 2014 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकार्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के सम्बन्ध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा, कि आपको प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(833-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

ओम सांई गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता-A-27, न्यू अशोका गार्डन, भोपाल.

ओम सांई गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक-डी. आर. बी./1132, दिनांक 11 फरवरी, 2009 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक-976, दिनांक 13 अगस्त, 2014 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकार्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के सम्बन्ध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा, कि आपको प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(833-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री कुशल कुमार राजवैध,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता-B-261, ई, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

न्यू विकास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक-डी. आर. बी./253, दिनांक 08 सितम्बर, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक-976, दिनांक 13 अगस्त, 2014 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकार्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के सम्बन्ध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा, कि आपको प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(833-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री दिलीप मेहरा,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आल इण्डिया सर्विसेस, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता- डी-24, चार इमली, भोपाल.

आल इण्डिया सर्विसेस, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, पंजीयन क्रमांक-डी. आर. बी./1125, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के सम्बन्ध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक-976, दिनांक 13 अगस्त, 2014 को पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकार्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के सम्बन्ध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा, कि आपको प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(833-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2291.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झारडा, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 19 अक्टूबर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(834)

उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2292.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकला, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 618, दिनांक 28 जुलाई, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(834-A)

उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2293.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैजनाथ, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 766, दिनांक 30 अक्टूबर, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(834-B)

उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2287.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अरनिया बहादुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 710, दिनांक 04 सितम्बर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(834-C)

उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2288.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महु, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 31 जनवरी, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(834-D)

उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2289.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढ़ाई, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 722, दिनांक 05 नवम्बर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(834-E)

उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2290.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इटावा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 820, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(834-F)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं मर्या., जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वामनखेड़ा	385/27-09-1991	1881/29-10-2001
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सलैया	397/08-10-1991	1881/29-10-2001
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतपाड़ासराय	352/01-10-1991	1881/29-10-2001
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चितोरिया	432/29-04-1992	1881/29-10-2001
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरा	428/31-03-1992	1881/29-10-2001
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अटारीखेजड़ा	278/31-07-1986	275/28-02-2006
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टीला	299/02-05-1982	276/28-02-2006
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अहमदपुर	303/02-05-1987	277/28-02-2006
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रावन	371/03-08-1991	278/28-02-2006
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा	390/01-10-1991	299/06-03-2006
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवखजूरी	313/19-10-1987	300/06-03-2006
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा	288/31-10-1986	301/06-03-2006
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मसूदपुर	368/16-04-1991	302/06-03-2006

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

के. एम. अग्रवाल,

(835) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं मर्या., जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.—निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भौंरासा	380/26-09-1991	594/21-05-1998
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करैया	399/15-10-1991	607/21-05-1998
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आसठ	441/22-05-1992	986/01-08-1998

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखितरूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में संबद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अनिल अहिरवार,

(836) परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/01.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./533, दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आदर्श फल, फूल, साग-सब्जी उ. वि. सह. संस्था मर्या., अरनियाराम (आष्टा)	1188/08-02-2002	क्रमांक/परिसमापन/2014/
2.	ज्योति फल, फूल, साग-सब्जी उ. वि. सह. संस्था मर्या., बागेर (आष्टा)	1190/11-02-2003	533/26-05-2014 सीहोर.
3.	रैदास चर्म उद्योग सह. संस्था मर्या., मैना (आष्टा)	566/02-03-1996	

अत: मैं, आर. के. रायचूर, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. के. रायचूर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(839)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 26 मई, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/533.—कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के द्वारा विगत तीन वर्षों से अकार्यशील समितियों की नोट-शीट, दिनांक 09 जुलाई, 2013 को प्रस्तुत कर उन्हें परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है. कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1068/सीहोर, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 समस्त अकार्यशील संस्थाओं को जारी किया गया. जिसमें सम्बन्धित संस्थाओं को दिनांक 28 नवम्बर, 2013 तक अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करना था, जो कि निर्धारित समयावधि में किसी भी संस्था द्वारा नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि किसी भी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है.

अत: मैं, अशोक शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत निम्नानुसार संस्थाओं को परिसमापन में लाते हुए धारा-70 के अन्तर्गत उनके सामने दर्शाये अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक/दिनांक (3)	परिसमापक का नाम व पद (4)
1.	आदर्श फल, फूल, साग-सब्जी उ. वि. सह. सं. मर्या., अरनियाराम.	1188/08-02-2002	आर. के. रायचूर, स. वि. अधि.
2.	रैदास चर्म उद्योग सह. सं. मर्या., मैना आष्टा	566/02-03-1996	आर. के. रायचूर, स. वि. अधि.
3.	ज्योति फल, फूल, साग-सब्जी उ. वि. सह. सं. मर्या., बागेर	1190/11-02-2003	आर. के. रायचूर, स. वि. अधि.
4.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., आष्टा	1480/06-08-1981	एस. के. पाठक, सह. निरीक्षक.
5.	भवन निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आष्टा	148/02-03-1993	एस. के. पाठक, सह. निरीक्षक.
6.	जरी हस्तशिल्प एवं वस्त्रोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, आष्टा	1480/24-09-2003	एस. के. पाठक, सह. निरीक्षक.
7.	खेती हर मजदूर कुकुट पालन सहकारी संस्था मर्या., मगसपुर	1076/30-11-1985	बी. के. तिवारी, स. वि. अधि.
8.	उमाश्री मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	1168/02-05-2001	बी. के. तिवारी, स. वि. अधि.
9.	सबा लोहा काष्टकलॉ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	1129/11-03-1999	बी. के. तिवारी, स. वि. अधि.
10.	डाकतार कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	870/19-12-1984	एन. के. गुप्ता, सह. निरी.
11.	अनु. जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ी सीहोर	1157/11-01-2003	एन. के. गुप्ता, सह. निरी.
12.	प्रा. बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कस्बा सीहोर	1300/28-03-1991	एन. के. गुप्ता, सह. निरी.

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	फल, फूल साग-सब्जी उ. वि. सह. सं. मर्या., इछावर	1180/18-08-2001	डी. सी. जैन, स. वि. अधि.
14.	हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गुराड़ी	796/08-12-1982	डी. सी. जैन, स. वि. अधि.
15.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बुधनी	768/20-11-1989	उमेश मिश्रा, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक शुक्ला,
उप-पंजीयक.

(838)

कार्यालय परिसमापक सहकारी समितियां, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/01.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2014/533, दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., आष्टा	787/06-08-1981	आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/533/26-05-2014 सीहोर.
2.	भवन निर्माण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., आष्टा	821/02-09-1993	
3.	जरी हस्तशिल्प एवं वस्त्रोद्योग सह. संस्था मर्या., आष्टा, जिला सीहोर म. प्र.	820/02-09-2003	

अत: मैं, एस. के. पाठक, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. के. पाठक,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(837)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद,

जिला मुरैना.

क्र./परि./2014/1574.—यह कि नारी कल्याण सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद, जिला मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./530,

दिनांक 23 फरवरी, 1982 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अतः संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणतः समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(840)

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीगंज

मुरैना.

क्र./परि./2014/1575.—यह कि नारी कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीगंज, मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./521, दिनांक 15 नवम्बर, 1981 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अतः संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणतः समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(840-A)

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिहोरी,

जिला मुरैना.

क्र./परि./2014/1576.—यह कि महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सिहोरी, जिला मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./506, दिनांक 04 नवम्बर, 1981 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अत: संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणत: समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(840-B)

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

लुहारी-सुतारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी,

जिला मुरैना.

क्र./परि./2014/1577.—यह कि लुहारी-सुतारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी, जिला मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./511, दिनांक 06 नवम्बर, 1961 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अत: संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणत: समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.

4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(840-C)

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

कुक्कट पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना.

क्र./परि./2014/1578.—यह कि कुक्कट पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./1341, दिनांक 22 अगस्त, 2007 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अतः संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणतः समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(840-D)

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

ईंट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दत्तपुरा मुरैना.

क्र./परि./2014/1579.—यह कि ईंट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दत्तपुरा मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./460,

दिनांक 03 दिसम्बर, 1980 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अतः संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणतः समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(840-E)

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

भवन सामग्री सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीगंज मुरैना.

क्र./परि./2014/1580.—यह कि भवन सामग्री उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीगंज मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./520, दिनांक 05 जुलाई, 1987 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अतः संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणतः समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(840-F)

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

भवन साम्रगी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खांडोली,

जिला मुरैना.

क्र./परि./2014/1581.—यह कि भवन साम्रगी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खांडोली, जिला मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./484, दिनांक 25 अगस्त, 1987 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अत: संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणत: समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(840-G)

मुरैना, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी,

बैलगाड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना.

क्र./परि./2014/1582.—यह कि बैलगाड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एम.एन.ए./559, दिनांक 04 दिसम्बर, 1982 जिसे आगे संस्था कहा गया है के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पत्र क्रमांक/विधि/2014/977, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से अवगत कराया गया है कि संस्था लगातार 3 वर्षों से अकार्यशील है. अत: संस्था पर निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयकरण आदेश में दर्शित समयावधि में अपना कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के हित सम्बन्धों के लिये कार्य करती है तथा साधारणत: समस्त सदस्यों के हित सम्वर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था के अधिनियम, नियम तथा संस्था उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तक लिखित में ठोस साक्ष्य सहित इस कार्यालय में उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जायेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

(840-H)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
नरसिंह प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., हाटपिपल्या,
द्वारा:- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 707, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04-05 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बावत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(841)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
शंखेश्वर प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास.
द्वारा:- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 25 मई, 2005.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04-05 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बावत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-आयुक्त.

(841-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014-कार्तिक 9, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 जुलाई, 2014

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), निवाड़ी (टीकमगढ़), हटा, जबेरा, पटेरा (दमोह), मझगवां, अमरपाटन, रामनगर (सतना), त्योंथर, हनुमना, हुजूर (रीवा), सोहागपुर, जैसिंहनगर, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), शाजापुर, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), जोबट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, च.शेखर आजाद नगर, उदयगढ़ (अलीराजपुर), नटेरन, ग्यारसपुर (विदिशा), आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज (सीहोर), बाबई, इटारसी, पिपरिया, वनखेड़ी पचमढ़ी (होशंगाबाद), टिमरनी (हरदा), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझोली, कुन्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, बड़वारा, विजयराघौगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा (कटनी), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), परासिया, पांढुर्णा, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा) घन्सौर, केवलारी (सिवनी) लांजी, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील दमोह, पथरिया (दमोह), नागौद, मैहर (सतना), सिरमोर (रीवा), कालापीपल (शाजापुर), सोण्डवा (अलीराजपुर), कुरवाई, बासौदा, विदिशा (विदिशा), सीहोर, बुधनी (सीहोर), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद (होशंगाबाद), हरदा (हरदा), शाहपुरा (डिण्डोरी), सोंसर, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), बरघाट, छपारा (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील खुरई, रहली, राहतगढ़, मालथोन (सागर), तेन्दूखेड़ा (दमोह), बुढ़ार (शहडोल), पाली (उमरिया), चुरहट (सीधी), बरही (कटनी), निवास, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, घनौरा (सिवनी), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बीना, बंडा, सागर, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली, शाहगढ़ (सागर), रघुराजनगर, उचेहरा (सतना), गुढ़, रामपुरकर्चुलियान (रीवा), गोपदबनास, सिंहावल, मंझोली, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), विछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी (मण्डला), चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, सीधी, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, कटनी, मण्डला, छिन्दवाड़ा, सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला हरदा, सिवनी में फसल धान व डिण्डोरी में धान, तुवर, मक्का व दतिया, सागर, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.—** . .

5. **कटाई.—** . .

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, सतना, शहडोल, अनूपपुर, नीमच, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 02 जुलाई, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	8.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	4.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	2.0				
4. घाटीगांव	13.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	4.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	82.0	चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. खुरई	47.6		उड़द, मूंग,अरहर, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	60.6		सोयाबीन कम.		
4. सागर	165.6		(2) . .		
5. रेहली	48.6				
6. देवरी	172.0				
7. गढ़ाकोटा	80.2				
8. राहतगढ़	36.9				
9. केसली	134.0				
10. मालथोन	35.8				
11. शाहगढ़	115.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	9.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूंग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	34.8				
4. पथरिया	19.0				
5. जवेरा	10.0				
6. तेन्दूखेड़ा	35.0				
7. पटेरा	11.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	57.6		4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	13.0		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	22.0				
5. उचेहरा	64.0				
6. अमरपाटन	13.0				
7. रामनगर	11.0				
8. मैहर	32.0				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	12.0		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मसूर, अलसी, कम. अरहर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	20.3		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	15.1				
5. हजूर	10.3				
6. गुढ़	66.2				
7. रायपुरकर्चुलियान	81.0				
8. नई गढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	8.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. गोहपारू	. .				
4. जैसिंहनगर	3.0				
5. बुढ़ार	42.6				
6. जैतपुर	2.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	1.4		4. (1) धान, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	9.6		(2) . .		
3. कोतमा	3.5				
4. पुष्पराजगढ़	11.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	2.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	44.0		(2) . .		
3. मानपुर	17.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	136.0		4. (1) मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सिंहावल	82.3		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	65.2				
4. कुसमी	81.0				
5. चुरहट	46.2				
6. रामपुरनैकिन	54.6				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, कोदों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		तुअर.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. शामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
***जिला आगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	4.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	11.0				
4. कालापीपल	20.0				
5. गुलाना	2.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. पागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. अलीराजपुर	3.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	5.0				
4. सोण्डवा	27.0				
5. च.शे.आ. नगर	13.0				
6. उदयगढ़	2.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		मूँगफली, तुवर.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		(2) . .		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. अजड़	. .				
7. पाटी	. .				
8. वरला	. .				
9. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	27.0				
4. बासौदा	32.2				
5. नटेरन	7.0				
6. विदिशा	21.2				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	13.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	32.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	4.0		(2) . .	. .	
3. इछावर	3.0				
4. नसरुल्लागंज	3.0				
5. बुधनी	26.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	. .	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	21.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	29.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	8.0				
4. इटारसी	4.0				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	4.6				
7. वनखेड़ी	13.2				
8. पचमढ़ी	0.6				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. धान की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	32.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	03.0				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	3.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	6.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	7.0				
4. मझौली	9.0				
5. कुण्डम	2.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	0.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बड़वारा	2.0				
4. विजयराघवगढ़	8.0				
5. बहोरीबंद	1.1				
6. ढीमरखेड़ा	5.0				
7. बरही	39.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन धान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	37.1	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	181.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	166.0				
4. मण्डला	143.0				
5. घुघरी	117.7				
6. नारायणगंज	46.9				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. धान एवं तुअर, मक्का	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	7.2	की बोनी का कार्य चालू	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	6.0	है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	18.4				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	46.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	7.2				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	24.2				
6. पांढुर्णा	10.8				
7. अमरवाड़ा	4.6				
8. चौरई	64.2				
9. बिछुआ	74.2				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	31.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसलों	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	39.0	व धान की बोनी का	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	3.0	कार्य चालू है.	मूँगफली, तिल सोयाबीन समान.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	45.5		(2) . .		
4. बरघाट	29.3				
5. कुरई	105.0				
6. घंसौर	6.0				
7. घनोरा	37.2				
8. छपारा	33.1				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	19.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	3.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	40.0				
4. वारासिवनी	2.0				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, अशोकनगर, पन्ना, आगर, देवास, खण्डवा, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(831)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.